1133

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 373 OF 2022

IN THE MATTER OF:

SUMIT SAINI …APPLICANT

VERSUS

HARYANA STATE POLLUTION CONTROL BOARD & ORS. RESPONDENTS

INDEX

S`L. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply by Applicant against SPS Biochem's submitted Letter to court on dated 29-07-2024.	1 – 22

Filed by: Filed on: 16.08.2024

Applicant,

Sumit Saini
S/o Shri Rajinder saini, Kishan Pura Damla
Yamunanagar-135001, Haryana
Ph. +919034103390
Email: sainisumit96@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.373 OF 2022

IN THE MATTER OF:

SUMIT SAINI …APPLICANT

VERSUS

HARYANA STATE POLLUTION
CONTROL BOARD & ORS. RESPONDENTS

REPLY BY APPLICANT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

To,

Honorable judge and Expert Member,
National Green Tribunal,
Principle Bench, New Delhi

विषय : Reply by Applicant against SPS Biochem's submitted Letter to court on dated 29-07-2024. Next hearing date in the matter is 21 Aug 2024.

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि मैं सुमित सैनी गांव निवासी दामला, जिला यमुनानगर, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। मेरे द्वारा माननीय न्यायलय में case No. 373/2022 याचिका दायर की गई है । केस की अगली सुनवाई माननीय न्यायलय द्वारा 21 August 2024 को निर्धारित की गई है।

मैं माननीय कोर्ट को बताना चाहता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 21 मुझे और आमजन को जीवन जीने का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ ही सम्मान सहित स्वस्थ वातावरण में जीवन जीने का अधिकार देता है। जिसका पूर्ण रूप से प्रतिवादियो द्वारा उलंघन किया जा रहा है और इसमे सम्बन्धित विभाग, शासन व प्रशासन खुद भी इसका उलंघन कर रहे हैं व इसे लागू कराने में असमर्थ हैं ।

इन सब मामलों में Haryana state pollution control board, Haryana government के साथ साथ सभी प्रतिवादी (Respondent) भी सम्मान रूप से जिम्मेदार है । और आरोपित पक्ष स्वयं मामले की जाँच कर रहा है। और हमे कही भी हो चुकी जाँच का सम्मान रूप से भागीदार नही बनाया गया है तो न्याय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।

मै पुन : कोर्ट के समक्ष SPS Bio chem CNG matter, जिसकी अगली सुनवाई 21- 08-2024 को है।, इस विषय के सन्दर्भ मे अपनी निम्न लिखित दलीले , तथ्य व सुबूत पेश कर रहा हूं । और आशा करता हूं। कि इनका संज्ञान लेते हुए हमे माननीय न्यालयल द्वारा पूर्ण न्याय दिया जाए।

Case No. SPS Bio chem pvt. Ltd.

1. जैसे कि मै पहले भी कोर्ट को सूचित कर चुका हूं कि SPS Biochem शुरू से ही प्रशासन व विभाग के साथ मिलकर गैर कानूनी ढंग से इनके द्वारा constuction work किया गया है इससे सम्बन्धित कुछ Picture शुरुआती दौर की मैं कोर्ट के समक्ष पेश कर चूका हूं। जिससे पता चलता है कि कैसे मिलिभक्त से बन्द के आर्डर होने पर भी इनका construction का काम चलता रहा । SPS bio chem ने अपनी पुरानी रिपोर्ट मे बताया था कि pollution department द्वारा 15 जून 2022 को Closing order देने के बाद construction work रोक लिया गया जोकि 12 December 2022 तक बिना pollution department की अनुमति के बन्द ही रहा। जबकि plant construction का काम 1 दिन भी बन्द नही हुआ। जिसकी कुछ फोटो मैं पुनः पेश कर रहा हू ।

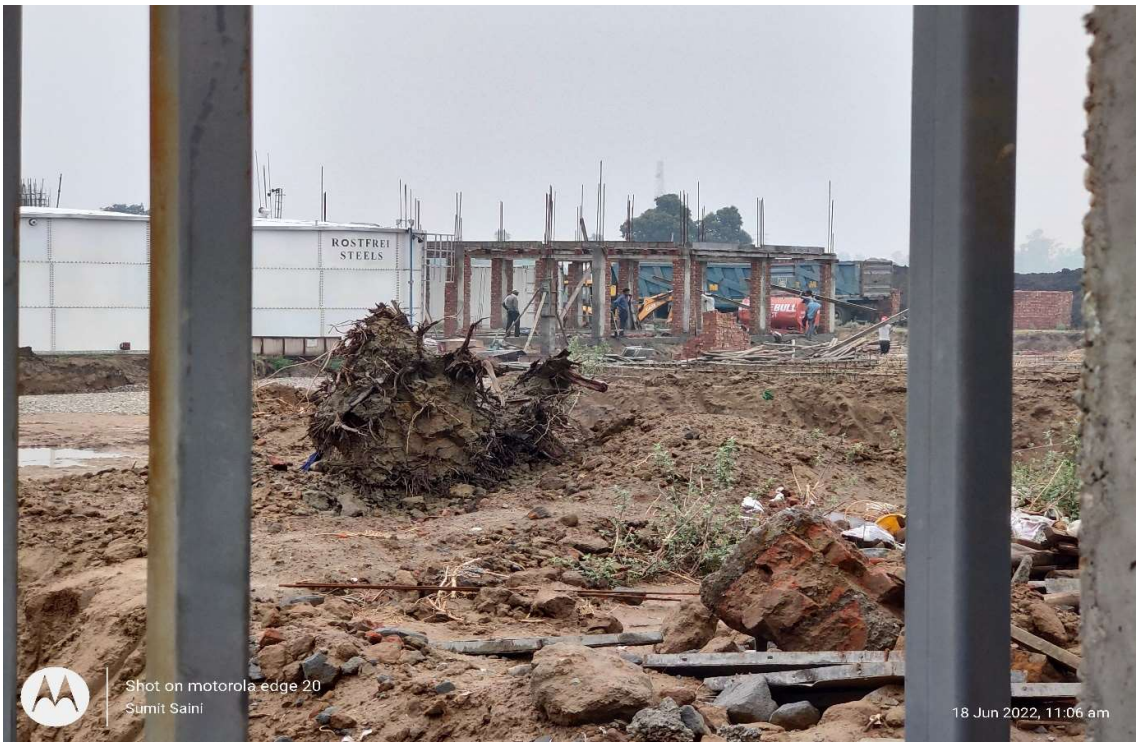
ROSTFREI
STEELS
Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
18 Jun 2022, 11:06 am

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
27 Jul 2022, 12:25 pm

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
17 Sep 2022, 5:38 pm

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
23 Nov 2022, 8:47 am

2. SPS Biochem द्वारा Last submitted report on dated 29-07-2024 मे भी झूठ का सहारा, मिलिभक्त व तथ्यो का हेरफेर करके बड़ी चालाकी से कोर्ट के समक्ष पेश की गई।

2.1. ये सही है। कि SATAT Scheme के अन्तर्गत Government चाहती है कि waste को Use करके Bio fuel तैयार किया जाए। जिससे देश का पैसा जो fossil fuel के import पे खर्च हो रहा है उसे कम किया जा सके तथा Environment को बचाया जा सके । इसके लिए Government subsidy भी दे रही है। और corporate Tax और इनके CSR Target मे भी मदद पहुँचा रही । साथ ही साथ तैयार माल को खरीदने के लिए client और price भी प्रदान कर दिया गया है । तो ये पूर्ण रूप से profitable business बनाया गया है । लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी अपने प्रभाव का use करके अपनी मर्जी से कही भी Plant लगा ले और गंदगी फैलाना शुरू कर दे। और पूछने पर कहे कि हम environment protection मे गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं । जबकि सच्चाई यह है की पैसा बचाने के लिए गंदगी फैला के अपने profit को बढ़ा रहे हैं । और transportation का खर्चा कम करने के लिए प्लांट कही भी लगा रहे हैं । अगर environment protection करनी है। तो 100% प्राली का उपयोग करें ताकि किसानो की भी समस्या समाप्त हो सके और यह जलने से भी बच सके। और यह मल्ली की तरह इतना गलता सडता नहीं। परन्तु इसमें plant setup मे पैसा ज्यादा लगता है। Profit ना के बराबर है। जबकि मल्ली सस्ती भी है। Plant का खर्चा भी कम पड़ता है। और इससे गैस भी ज्यादा बनती है । तो सारा खेल पैसे का है। लेकिन इसके लिए हमारे प्राणों की बली नहीं दी जा सकती और बनने वाली CNG का जहाँ इस्तेमाल होगा वहा carbon capture मे मदद मिलेगी परन्तु हमारा Area तो पूरी तरह से Carbon or other pollution से भर जाएगा।

2.2. हालांकि इस SATAT scheme के अन्तर्गत कम्पनी को प्लांट setup के लिए कुछ Rule follow करने थे। जिसकी authorized RTI copy मै निचे लगा रहा हूं। जबकि sps biochem ने अपने प्रभाव के चलते ना ही किसी विभाग की permission ली और ना ही इससे किसी को अवगत कराया । गांवौ वालो को भी aware करना था और पंचायत की permission लेनी थी ।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार उपक्रम) रजिस्टर्ड ऑफिस : 17, जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई - 400 020.
HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE) REGISTERED OFFICE : 17, JAMSHEDJI TATA ROAD, MUMBAI - 400 020.
ग्रेशम एश्यूरन्स बिल्डींग, 2 री मंजिल, सर पी. एम. रोड, बॉक्स नं. 198, फोर्ट, मुंबई - 400 001. • दूरभाष : 2260 8500 • फॅक्स : 2260 8555
Gresham Assurance Building, 2nd Floor, Sir P. M. Road, Post Box No. 198, Fort, Mumbai - 400 001. • Tel. : 2260 8500 • Fax : 2260 8555
e-mail : mktghqo@hpcl.co.in • CIN No.: L23201MH1952GOI008858

RTI Reg.No: HPCLD/R/E/23/00660

Reference; HPCL/BFR/RTI/00660
Date: 19. July 2023

Sh. Sumit Saini,
Kishan Pura, Damla,
Yamuna Nagar, Pin-135001
Haryana

Sub: Information under RTI Act, 2005

Dear Sir/Madam,

With reference to your Online RTI application no. HPCLD/R/E/23/00660 received by us on 07/07/2023 seeking information under the RTI Act, 2005.
Your query and our response for the query is as follow:

Query: I want to know that, what are all the approvals required for setting up the CBG plant of capacity 200 TPD under SATAT scheme?

Response: - The information sought is readily made available in the public domain. You are requested to visit the industry SATAT portal at https://satat.co.in/satat/faq.html on the FAQ link, where details of the information sought by you are available.

You may, if need be, appeal to the First Appellate Authority, within 30 days from the date of receipt of this letter at your end. Please note that there are no fees payable for lodging the first appeal.

First Appellate Authority: Shri Shuvendu Gupta (ED-Biofuel & Renewables) & first appellate authority.

Full Postal Address: Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), Gresham assurance building, second floor, Sir P M road, Fort, Mumbai – 400001.

Thanking you,

Very truly yours,

Gagandeep Singh Sodhi
General Manager - Renewables & CPIO

Following major approvals are required.However the list are not exhaustive and State / district Authorities may be approached for further clearances required (if any)

S.No	Approvals Required	Before Construction (New Factory)	After Construction but Before Production / Operation	Annual Renewal
1	Land conversion to Non Agricultural (applicable for non-industrial land)	Conversion and registration	Not Applicable	Not Applicable
2	DIC (District Industry Centre)	Registration as MSME(Micro , Small & Medium Enterprises)	Not Required	Not Required
3	Fire	NOC (No Objection Certificate)	License	Required
4	Health & Safety	NOC	License	Required
5	IOF(Indian Ordinance Factories) - Plan approval	NOC, BoCW Registration(Building & Other Construction Workers Registration)	License (Sub contractor License)	Required
6	DTCP - District Town & Country Planning	Plan Approval & Tax	Not Required	Not Required
7	Local Panchayat	Plan submission, NoC and Tax payment based on construction area	Yearly tax (if applicable)	Not Required. Tax to be paid (if applicable)
8	BDO(Block Development Officer) - Running License	Not Required	Running License	Required
9	PCB(Pollution Control Board)	Consent for Establishment	Consent for Operation	Required
10	PESO(Petroleum and Explosives Safety Organization)	Consent for Establishment	Consent for Operation	Required
11	MNRE (Ministry of New and Renwable Energy)	CFA(Central Financial Assistance) Approval	CFA approval after 72 hours plant operation	Not Required

2.3. SPS biochem ने बड़ी ही चालाकी से अभी हाल में HSPCB द्वारा की गई inspection के समय अपने असली Raw material storage क्षमता को कुछ दिनो पहले से ही किसी और जगह पर shift करना शुरू कर दिया था। जिसकी कुछ time पहले की मै Picture निचे सम्मलित कर रहा हूं। जिससे साफ होता है। कि ये actual मे मिलिभक्त करके क्या कर रहे हैं । पहले माञा कितनी थी अब कितनी है। इनके द्वारा दिखाई गई Picture मे भी Material कैसे गल सड रहा है उसके उपर लगी उल्ली Pathogens से पता लग रहा है कोई Spray नही हो रहा और वैसे भी spray करके Environment को और दूषित किया जायेगा ।

G.C.M.
BPS BIO-CHEM PVT. LTD.

2.4. साथ ही साथ में कोर्ट को ये भी बताना चाहता हूं कि जो HSPCB ने Picture मे tarpaulin ढकी हुई और मली की storage मात्रा दिखाई है। वह तो सिर्फ असली क्षमता का 10-15% ही है। और जिसमें इनको mild smell आ रही थी। जबकि सच्चाई यह कि अब August चल रहा है । Sugar mill जहां से ये मल्ली लेते है। उसका चलने का समय December से March तक होता है इसका मतलब यह है कि ये मल्ली को store करना December से शुरू कर देते हैं अब तो इनके पास 3 month के पास का ही Stoke बचा होगा। जिसमे से कुछ मात्रा इन्होंने कही और shift कर दी है। इसकी picture भी मै नीचे show कर रहा हूं ।

इनसे यह स्पष्ट होता है। कि असली मात्रा को कम करके दिखाया गया । और क्योंकि मल्ली पहले से ही Sugar mill का biodegradable waste है तो यह शुरू मे store होने के समय कितनी गैसे व गंदगी पैदा करती है। और अब तो August चल रहा है। अब तक तो कुछ मात्रा decompose होकर less smell दे रही है क्योंकि वह खाद बन गई । जैसे गाँव मे गोबर की खाद कुछ समय पड़े रहने के बाद 6-7 महीने में खाद बन जाती है। जोकि कम मात्रा मे होती है परन्तु इन्होंने मल्ली के बड़े बड़े stoke लगा रखे है। और inspection में दिखाई गई मात्रा तो कुल मात्रा का सिर्फ 10% ही है । जज साहब हमसे पुछिए जो इस गदगी को 2 साल से झेल व सह रहे है Jan Feb March April और फिर बारिशों मे जीना ही मुश्किल हो जाता है।

2.5. SPS Biochem ने कहा है। कि वह tarpaulin का तो use कर रही है। जिसमे कि सिर्फ feeding वाला Portion ही uncover रहता है । और बारिश व आधी मे भी यह नही उड़ेगी। और पराली का हम use नही कर सकते क्योंकि यह मल्ली के साथ मिक्स हो जाएगा जोकि reactor design के लिए सही fuel नही है। जबकि सच्चाई यह है कि ये तो सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने के लिए बोला जा रहा है । मैं निचे इनके द्वारा स्थापित कम्पनी बोर्ड की Picture लगा रहा हूं। जो इन्होंनें शुरू के दौरान अपनी कम्पनी के बोर्ड मे दिखाया था। कि ये पराली का 10-20% use करेंगे। साथ ही Tarpaulin जो

कितनी cover रहती है। इनका बताया झूठ जज साहब उपर दिखाई Pictures के माध्यम से देख सकते है । की कैसे मल्ली के बड़े बड़े ढेर लगे हुए है। जोकि दीवार से भी ऊपर जा रहे है। कैसे गल सड़ रहे है। कोई Taruplin नही है। और inspection फोटो के समय material को पहले ही shift कर दिया गया ।

2.6. इन्होंने शुरू मे कोर्ट में दर्ज कराई अपनी रिपोर्ट मे भी खुद से ही declare किया था। कि ये Tarpaulin और पराली का उपयोग Smell और गैसो को रोकने के लिए करेंगे । हालाकि कोर्ट ने भी इनके द्वारा बताई बातो को order में लिख दिया। जबकि इसकी सत्तयता किसी विभाग या जांच मे नही बताई गई। कि कैसे Tarpaulin और पराली ऐसा कर सकती है। ये शुरू से ही सबको

गुमराह करते हुए काम कर रहे हैं । और अब नई कहानी कोर्ट के समक्ष पेश कर रहे है। कैसे Tarpaulin CH4 मिथेन गैस, जो कि odourless गैस है। Ammonia, हाइड्रोजन सळफाईड H2s जैसी इतनी खतरनाक गैसो को रोक सकता है। Tree Plantation भी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड Co2 को रोक सकते है वो भी limit मात्रा में जबकि यहा Area मे पहले से ही कई प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रिया चल रही है । यहा Area मे मक्खी मच्छर बढ़ गए है। Pathogen भी develop होगे गंदगी से । गंदी smell लगातार बनी रहती है सच्चाई यह कि SPS Biochem लगातार Environment Act का उलघन कर रहा है । और कमाल की बात यह है कि निगरानी करने वाला HSPCB को यही नहीं पता की क्या सही और क्या गलत । और plant चलवाने की permission दी जा रही है।

2.7. जज साहब इसके अलावा अब ये किसी Third Party से सलाह ले रहे है। कि क्या Plant के लिए सही है। या गलत इसका मतलब इस plant को लगाने वाली कम्पनी ने ही SPS Biochem को सही दिशा निर्देश नही बताए। और Raw Material के प्रबन्धन के अलावा ये प्लांट रिहाशी इलाके मे नही लग सकता ये भी नही बताया होगा। लेकिन इस बात की सजा हम गाँव वालो को थोडी मिलनी चाहिए । और मुझे तो इनकी तकनीक और process पर भी doubt है CNG बनने के दौरान बर्नर से गैस क्यो जलती रहती है । CNG transfer के दौरान smell होती है। H2s प्रबन्धन के दौरान क्या इस्तेमाल हो रहा है। इसमें use waste water recycle कैसे हो रहा है । जो scrubber लगे है। इसका waste water कहा डाला जाता है। कुल मिलाकर ये plant high polluted red categories में आता है। जो रिहायश से दूर लगना चाहिए। अगर यह Plant इतना ही साफ है। तो industrial zone मे क्यो नही लगाया जोकि सरकार द्वारा नया बना था। और यह मानकपुर industrial Area अभी भी आधे से ज्यादा खाली है।

3. इन्होंने अपनी पुरानी रिपोर्ट मे भी हेर फेर करके यह साबित करने की कोशिक की थी की हम सब कुछ Recycle करेगे। और हम Green categories में आते है। जिसकी सच्चाई भी अपने पुराने Reply मे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं । जबकि सच्चाई यह है कि Reactor से बचा waste material और पानी जो कि Recycle नही हो सकता । उसे अब ये आस पास के खेतों मे डाल रहे है। इसकी कुछ Pictures मै निचे दिखा रहा हूं ।

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
19 Jul 2024, 10:13 am

TATA
HR 45
A5150
HR45A
5150
Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
19 Jul 2024, 10:15 am

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
13 Aug 2024, 12:24 pm

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
13 Aug 2024, 12:28 pm

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
13 Aug 2024, 12:25 pm

SPS BIO-CHEM
SPSBIO-CHEM PVT. LTD.
Shot on motorola edge 20
Sumit Saini

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
13 Aug 2024, 1:07 pm

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini

4. मैं माननीय न्यालालय को ये भी सूचित करना चाहता हूं कि कैसे ये शुरू से ही Raw Material को ईधर उधर shift कर के बचने की कोशिश कर रहे है। और अब Plant waste को भी। और किसी और कम्पनी को आगे करके उनके नाम पर Raw Material storage करा रहे होगे । जिसका अभी पास के गाँव मे विरोध हुआ और मंत्री को भी उस प्लांट को बंद करने के order देने पड़े। जहाँ पर press mud पाई गई। यहाँ material सुखाने के बाद pellet बना कर बेच देते हैं । मै अखबार copy व Picture निचे दिखा रहा हूं।

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
16 Jul 2024, 4:54 pm

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
16 Jul 2024, 4:59 pm

कष्ट निवारण समिति की बैठक : शिकायतकर्ताओं से मंत्री असीम बोले - इव थारी चकरी वन रही है अगर काम नहीं हुआ तो अफसरों की [illegible]

सीएनजी प्लांट बंद और अवैध खनन रोकने के आदेश

जागरण संवाददाता • यमुनानगर : जिला सचिवालय के सभागार में सोमवार को कष्ट निवारण समिति की बैठक में 18 परिवाद रखे गए। इनमें से पांच लंबित रखे गए। जबकि अन्य का निपटान कर दिया गया। गांव पराणगढ़ में लगे सीएनजी प्लांट से फैल रही गंदगी व उठ रही बदबू की शिकायत पर तुरंत प्लांट को बंद कराने के आदेश दिए गए। वहीं अवैध खनन रोकने पर कागजों में खेल रहे अधिकारियों को भी मंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही इसकी रिपोर्ट डीसी को देने के निर्देश दिए।

बैठक में गांव नैनावाली निवासी सुभाष कुमार ने परिवाद में बताया कि गांव में पंचायती भूमि में मुनव्वर ने स्क्रीनिंग प्लांट लगा रखा हुआ है। वह अवैध खनन कर रहा है। यदि उसे रोकते हैं तो वह गाली गलौज व झगड़ा करता है। अवैध खनन रुकवाया जाए। हालांकि शिकायतकर्ता बैठक में नहीं पहुंचा लेकिन मंत्री ने इस शिकायत पर खनन अधिकारी से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि नोटिस निकाल दिया है लेकिन यह बता नहीं पाए कि अब भी खनन हो रहा है या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि दो मामले पहले भी इस प्लांट संचालक के विरुद्ध दर्ज कराए गए हैं। बिजली कनेक्शन काटने के लिए बिजली निगम के एसडीओ व [illegible] लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखा गया है। मंत्री ने बिजली निगम के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि उनके पास कोई पत्र नहीं आया है। एसई ने भी इस बात का कनेक्शन काटने का पत्र आने से इनकार कर दिया। जिस एसडीओ को पत्र भेजा गया था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने नोटिस देने की बात कही। मंत्री ने कहा कि नोटिस का जवाब नहीं मिल रहा है तो पूरी तरह से प्लांट बंद कराएं।

18 परिवाद कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखे

13 का मामलों का किया निपटारा

जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में आई अवैध खनन की शिकायत पर खनन अधिकारी राजीव [illegible], प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी वीरेंद्र पुनिया व बिजली निगम के एसई से जवाब लेते परिवहन मंत्री असीम गोयल। • जागरण

कष्ट निवारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारी व सदस्य। • जागरण

समाधान करने के निर्देश : पुलिस से संबंधित कई परिवाद ऐसे थे। जिनमें शिकायतकर्ता नहीं पहुंचे। छोटी लाइन निवासी विधवा बरखा के पति ने मकान पर लोन लिया हुआ था। 25 लाख का लोन था। लोन वसूलने के लिए बैंक ने आगे किसी एजेंसी को केस भेज दिया। अब उनके मकान पर एजेंसी कब्जा करने के लिए नोटिस दे रही है। मंत्री ने बैंक अधिकारियों, एजेंसी को सम्मिलित कर समाधान निकालने के निर्देश दिए।

विभाग अपने खर्च पर खुद उठवाएं प्लांट से गंदगी

गांव इस्माईलपुर निवासी उर्मिला ने अपने परिवाद में बताया कि गांव पराणगढ़ निवासी प्रवीण ने आबादी के पास जो सीएनजी प्लांट लगाया हुआ है। जिसमें मुर्गा मिल का कचरा व मल मिलाया हुआ है। इसमें से हर समय बदबू उठती रहती है। गांव में मच्छर व मक्खियां पनप रही हैं। लोग बीमार हो रहे हैं। प्लांट से केमिकल युक्त पानी भी निकल रहा है। इस पर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विरेंद्र पुनिया ने जवाब दिया कि प्लांट संचालक को नोटिस दिया हुआ है। [illegible] जवाब नहीं आया है। नोटिस [illegible] पूरा होने के बाद आगामी [illegible]। इस जवाब पर मंत्री संतुष्ट नहीं हुए। [illegible] कोर्ट से भी [illegible] तब भी इसे कोई राहत नहीं [illegible]। इस प्लांट से गंदगी भी विभाग अपने खर्च पर खुद उठवाए। शिकायतकर्ताओं को [illegible] कि इस बार थारी चकरी बन रही है। [illegible] काम नहीं हुआ तो अफसरों की [illegible]।

इनका भी हुआ समाधान : सुंदरनगर वासी जितेंद्र कुमार की शिकायत थी कि उसने एक दुकान खरीदी थी। जब वह दुकान ली तो मालिक ने कहा था कि इस पर कोई सरकारी देय बकाया नहीं है। बाद में उसका कनेक्शन काट दिया गया। बिजली निगम से पता लगा कि मालिक सुरेंद्र के नाम पर बिल है। विभाग उस पर ही जमा करने का दबाव बना रहा है। शिकायत के बाद उसका बिल कर 52 हजार कम कर दिया। किश्तों में उसे देना पड़ा। वह संतुष्ट हो गया लेकिन मंत्री ने इस मामले में एसई को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस्माइलपुर निवासी [illegible] सिंह के खेतों के सामने पानी की निकासी के लिए पुलिया बनाने की समस्या रखी गई। जिस पर मंत्री ने यह पुलिया उसकी जमीन से हटाने के निर्देश दिए।

[illegible] : दूसरे चरण के लिए [illegible]

ट्राला की टक्कर से बाइक सवार की मौत

जागरण संवाददाता • यमुनानगर [illegible]

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
16 Jul 2024, 9:04 pm

5. इनके द्वारा Plantation की फोटो या फैक्ट्री की फोटो ऐसे ली गई जैसे इससे साफ स्वच्छ कुछ नहीं। जबकि सच्चाई यह है। कि इन्होंने आस पास, रोड सभी जगह गंदगी मचा दी है। Picture इस तरह ली गई है। जो दूसरे के plot मे पेड लगे वो भी इन्ही के मे show हो । यह प्लांट गांव के रिहासी आबादी से महज 300-400mtr की दूरी पर लग रहा है । इसके बिल्कुल पास मजदूरों की कलोनिया है। फक्ट्रिया व ईट बठठे है। हमारे अकेले गाँव की आबादी भी 15000+ है। आस पास के गाँव की पंचायतों ने भी इस कम्पनी के विरुद्ध signed Petition माननीय कोर्ट मे दी है। ऐसी ही कुछ कम्पनिया होती है। जो कोर्ट मे दलील देती है। कि साहब हमने तो जब कम्पनी लगाई थी तो वहा कोई रिहायश नही थी। लोग बाद मे बसे है। जबकि अब कम्पनिया इनही इलाको मे लगा दी जा रही है। ये सब मिलिभक्त नही है तो फिर क्या है । मै Map की copy निचे दिखा रहा हूं।

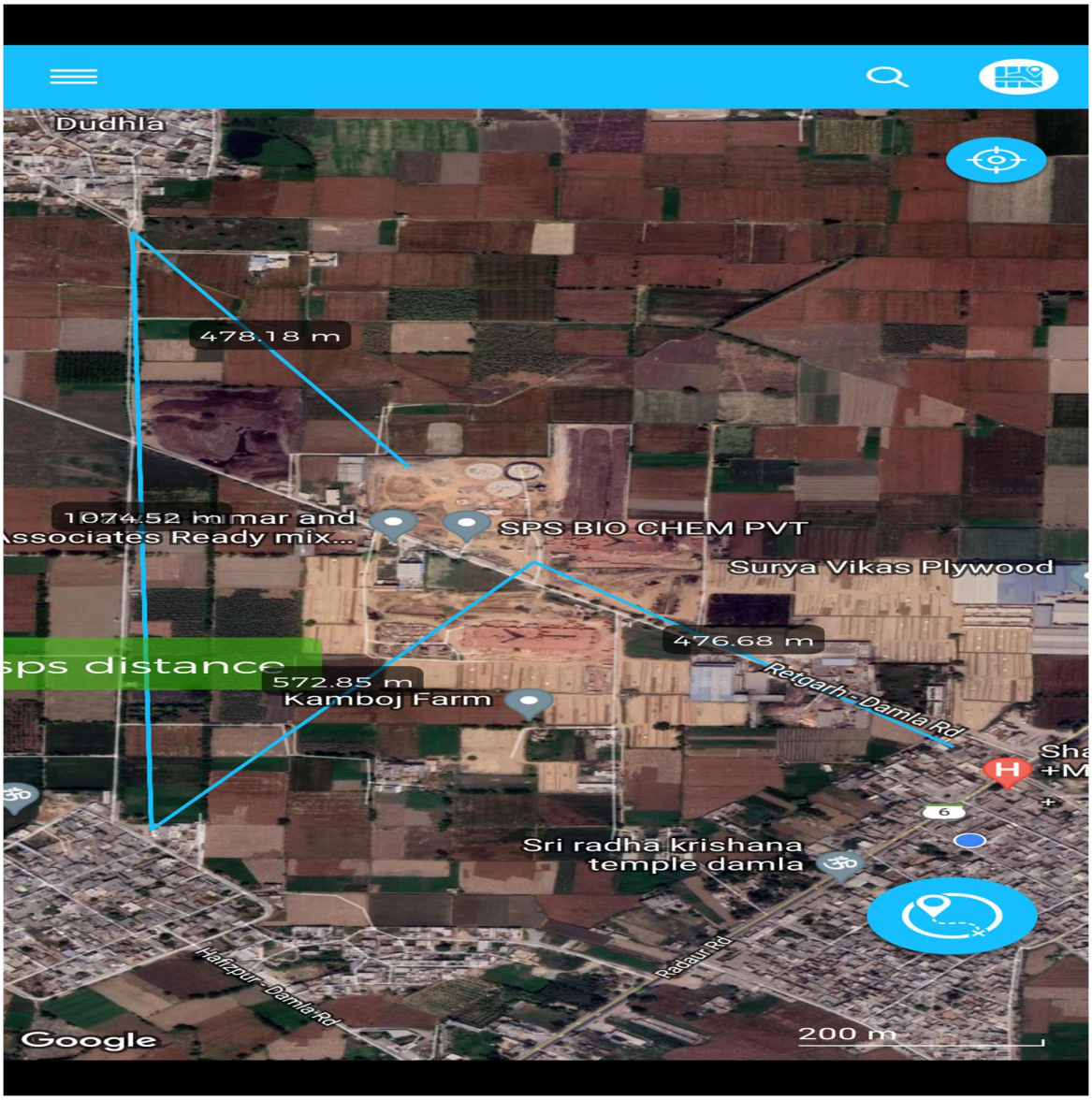

6. प्रशासन तो खुद कोर्ट की अवमानना कर रहा है। compensation money last year June 2023 तक use करने थी। परन्तु अब तक मिलिभक्त करके कुछ नही किया। कंपनी ने CLU or CTO मे भी raw material Agro waste show करके permission ली थी और सच्चाई मे यह है industial waste, तो क्या अब यह cancel नही होनी चाहिए।

इसलिए मै माननीय न्यायलय NGT से अपील करता हूं कि उपरोक्त बातों व तथ्यों का संज्ञान लेते हुए व इतने जनमानस के स्वास्थय व बच्चो के भविष्य को देखते हुए इस SPS Biochem कम्पनी को तुरंत प्रभाव से बंद कराने की कृपया करे। ताकि हम गांव वालो का जान माल का नुकसान रुक सके।

धन्यवाद ।

याचिकाकर्ता

सुमित सैनी